न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 138/2024

सरकार जरीये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

– – वादी

–:: बनाम ::–

1. विमला देवी पत्नी शिवप्रकाश शाह जाति अग्रवाल निवासी आर.एस.–8 रिद्धि–सिद्धि तह. व जिला श्रीगंगानगर

– – प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: उपस्थित ::–

1. पैरोकार राज – वादी
2. श्री राजेश गुम्बर – अप्रार्थी

– :: निर्णय ::–

दिनांक : 16.04.2025

स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.ए. का वाद प्रतिवादी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार अप्रार्थीया के नाम से चक 2 ई छोटी खाता सं. 209/40 के मु.न. 30 के किला न. 16/1=0.0077, 21/2=0.0299, 22/1=0.0299, 23/4=0.0067, 23/6=0.0232 24/2= 0.0299, 25/1=0.0359 कुल 0.1632 है0 नहरी भूमि दर्ज रिकार्ड है (जंमाबन्दी की प्रति संलग्न है)। उक्त खातेदारी चक 2 ई छोटी खाता सं. 209/40 के मु.न. 30 के किला न. 16/1=0.0077, 21/2=0.0299,,22/1=0.0299, 23/4=0.0067, 23/6=0.0232 24/2= 0.0299, 25/1=0.0359 कुल 0.1632 है0 नहरी भूमि पर अप्रार्थीया के द्वारा मौका पर सडको का निर्माण कर अकृषि कार्य मे उपयोग कर रही है। उपरोक्त रकबा का उपयोग कृषि कार्य में न होकर अकृषि कार्य में किया जा रहा है। उक्त अराजी काबिले– काश्त है, केवल मात्र कृषि कार्य के लिए दी गई है इसे बिना सक्षम अधिकारी से संपरिर्वन कराये / स्वीकृति प्राप्त किये मोके पर अकृषि कार्य में उपयोग की जा रहा है, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना अकृषि कार्य में उपयोग लेना गैर–कानूनी है। चक 2 ई छोटी खाता सं. 209/40 के मु.न. 30 के किला न. 16/1=0.0077, 21/2=0. 0299, 22/1=0.0299, 23/4=0.0067, 23/6=0.0232, 24/2=0.0299, 25/1=0.0359कुल 0.1532 है0 नहरी मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का 2 एम एल के अनुसार बिना स्वीकृति/संपरिर्वतन कराये अकृषि उपयोग मे किया जा रहा है, रिपोर्ट पटवारी हल्का संलग्न है।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिऐ नोटिस सूचित किया गया। वकील प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में मौका

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

रिपोर्ट मंगवाये जाने का निवेदन किया गया। वकील प्रतिवादी संख्या 1 के निवेदन पर प्रकरण में तहसीलदार श्रीगंगानगर से प्रकरण में मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण में जरिए कमांक 1986 दिनांक 18.10.2024 के रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। तहसीलदारश्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 18.10.2024 में अंकित तथ्यानुसार उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रसांगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि आपका प्रसांगिक पत्र प्राप्त होने पर पटवारी हल्का से पुनः मौका जाँच करवाई गई। पटवारी हल्का के द्वारा दिनांक 18.10.2024 को मौका पर जाकर फर्द मौका तैयार किया गया जिसके अनुसार चक 2 ई छोटी मुरब्बा नं. 30 के वादग्रस्त भूमि पर पूर्व में अकृषि कार्य चल रहा था, जोकि अब बन्द हैं तथा काश्तकार द्वारा मौके फूल व सजावटी पौधे लगाकर अकृषि कार्य को रोक दिया हैं। मौके पर किसी प्रकार का निर्माण आदि नहीं हैं। पूर्व में मौका जाँच पर पाई गई पक्की सड़क को तोड़कर भूमि को कृषि कार्य बावत् तैयार किया जा चुका हैं। वादगत भूमि का मौका मापन किया जिसमें वादगत भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र में फूल एवं सजावटी पौधे ही पाए गए हैं, किसी प्रकार का अकृषि कार्य नहीं पाया गया। फर्द मौका कार्यवाही दिनांक 18.10.2024 की प्रति अवलोकनार्थ सलंग्न हैं। वस्तुस्थिति की रिपोर्ट श्रीमान जी की सेवा में प्रस्तुत कर निवेदन है, कि वादग्रस्त भूमि में मौके पर किसी प्रकार का अकृषि कार्य नहीं हो रहा हैं।

वकील प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रकरण में ऐतराज प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार प्रार्थीया के नाम की तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 2 ई छोटी का खाता संख्या 209/40 मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 पत्थर नम्बर 0, मुरब्बा नम्बर 30 का किला नम्बर 16/1 में 0.0077 है. नहरी, किला नम्बर 21/2 में 0.0299 है. नहरी, किला नम्बर 22/1 में 0.0299 है. नहरी, किला नम्बर 23/4 में 0.0067 है. नहरी, किला नम्बर 23/6 में 0.0232 है. नहरी, किला नम्बर 24/2 में 0.0299 है. नहरी एवं किला नम्बर 25/1 में 0.0359 है. नहरी उपरोक्तानुसार कुल 0.1632 है. नहरी कृषि भूमि के सम्बन्ध में स्टेट की ओर से धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आवेदन पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि मौका पर सड़कें बनायी जाकर अकृषि उपयोग में लिया जा रहा है। प्रार्थीया की ओर से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र पर मंगवायी गयी रिपोर्ट से स्पष्ट है कि मौका पर कृषि कार्य हो रहा है, प्रार्थीया की बागवानी की हुई है एवं कोई अकृषि कार्य नहीं हो रहा है ऐसी स्थिती में धारा 177 आर. टी. एक्ट का प्रकरण चलने योग्य नहीं होने के कारण बिना आयन्दा विचारणी इसी स्तर पर दाखिल दफ्तर किये जाने योग्य है। धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन पत्र उसी परिस्थिती में संधारण योग्य है जब कोई खातेदार अपनी भूमि का कृषि से भिन्न प्रयोजनार्थ अकृषि उपयोग ले रहा हो जबकि हस्तगत प्रकरण में प्रस्तुत तहसीलदार की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि मौका पर कोई अकृषि कार्य नहीं हो रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आयन्दा कोई विचारण करने हेतू कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण प्रकरण इसी स्तर पर उक्त कानूनी विन्दु पर दाखिल दफ्तर फरमाया जावे।

वकील प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र 177 आर.टी.ए. पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार मद संख्या 1 प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य मुताबिक रिकॉर्ड स्वीकार है। इस मद में वर्णित आराजी कृषि भूमि तहसील व जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

के चक 2 ई छोटी का खाता संख्या 209/40 मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 पत्थर नम्बर 0, मुरब्बा नम्बर 30 का किला नम्बर 16/1 में 0.0077 है. नहरी, किला नम्बर 21/2 में 0.0299 है. नहरी, किला नम्बर 22/1 में 0.0299 है. नहरी, किला नम्बर 23/4 में 0.0067 है. नहरी, किला नम्बर 23/6 में 0.0232 है. नहरी, किला नम्बर 24/2 में 0.0299 है. नहरी एवं किला नम्बर 25/1 में 0.0359 है. नहरी उपरोक्तानुसार कुल 0.1632 है. नहरी कृषि भूमि प्रार्थीया के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है जिसकी प्रार्थीया मालिक एवं खातेदारा है तथा मौका पर काबिज काश्त है तथा मौका पर प्रार्थीया की फूलों की खेती हो रही है। मद संख्या 2 प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य जिस प्रकार से लासा अभिकथित किये गये है, स्वीकार नहीं है। इस मद में वर्णित प्रार्थीया की खातेदारी कृषि भूमि का उपयोग वर्तमान में कृषि कार्य से हटकर अकृषि कार्य हेतू नहीं किया जा रहा है एवं ना हीं मौका पर कोई सडक बनायी जाकर अकृषि कार्य में उपयोग ही किया जा रहा है यह तथ्य असत्य होने के कारण अस्वीकार है कि इस मद में वर्णित भूमि का मौका पर अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग हो रहा हो एवं ना हीं ऐसे तथ्यों के समर्थन में राज्य सरकार की ओर से कोई प्रथम दृष्टया साक्ष्य अथवा मौका फोटोग्राफ्स ही प्रस्तुत किये गये है। समस्त तथ्य वेग पटवारी हल्का रिपोर्ट पर अंकित किये जाकर मौजूदा प्रार्थना पत्र वास्तविकता से परे प्रस्तुत किया गया है। सही तथ्य यह है कि प्रार्थीया द्वारा इस मद में वर्णित अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर कोई अकृषि कार्य नहीं किया है वरन् प्रार्थीया की खातेदारी उक्त वर्णित कृषि भूमि पर मौका पर प्रार्थीया ने बागवानी की हुई है एवं फूलों की खेती हो रही है। प्रार्थीया के ठेकेदार पूनमचंद के द्वारा मौका पर फूलों की खेती की हुई है जिसे अनदेखा किया जाकर पटवारी हल्का के द्वारा रिपोर्ट की गयी है। प्रार्थीया यहां सुस्पष्ट अंकन करना आवश्यक समझती है कि प्रार्थीया के द्वारा अपनी खातेदारी कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में नहीं लिया है एवं मौका पर फूलों की खेती हो रही है। मद संख्या 3 प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य जिस प्रकार से अभिकथित किये गये है, स्वीकार नहीं है। आराजी काबिल काश्त होने के तथ्य से इन्कारी नहीं है। जहां तक कृषि कार्य हेतू दिये जाने के तथ्य अंकित किये गये है, कानूनी तथ्यों से परे दर्ज हुए होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं है। कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का उपयोग प्रार्थीया के द्वारा कृषि हेतू ही किया जा रहा है एवं कृषि भूमि को वाणिज्यिक अथवा आवासीय उपयोजनार्थ रूपान्तरित करवाने के सम्बन्ध में भी कानूनी प्रावधान राज्य सरकार द्वारा निर्मित किये हुए है जिनकी पालना की जाकर कृषि भूमि को अकृषि उपयोग में लिया जा सकता है जबकि वर्तमान में प्रार्थीया के द्वारा अपनी खातेदारी कृषि भूमि को अकृषि उपयोग में नहीं लिया जा रहा है वरन् फूलों की खेती की जा रही है जो कि मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है इसलिये धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान प्रकरण हाजा पर लागू नही होते है एवं ना हीं राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र में यह अंकित किया है कि प्रार्थीया के द्वारा किस किला में क्या अकृषि कार्य किया है कब किया है ना हीं मौका की कोई साक्ष्य ही प्रस्तुत की गयी है इसलिये भी राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। मद संख्या 4 प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य गलत ब्यानी होने के कारण स्वीकार नहीं है। पुनः पुनः तथ्यों की पुनरावृति की गयी है जिनका विस्तृत जवाब पूर्व की मदों में दिया जा चुका है। विवादित भूमि पर बिना स्वीकृति अकृषि उपयोग किये जाने के तथ्य गलत ब्यानी स्वीकार नहीं है एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट वेग एवं आधारहीन तथ्यों पर बिना साक्ष्य

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

के है जिस पर कतई गौर नहीं किया जा सकता है क्योंकि वास्तविकता में मौका पर भूमि किसी भी प्रकार से अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं हो रही है वरन् फूलों की खेती हो रही है। इसी सम्बन्ध में यहां यह भी अंकित करना आवश्यक होगा कि पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में महज यह अंकित किया है कि कृषि कार्य नहीं हो रहा है एवं सडक बनायी जा रही है अर्थात स्वीकृत स्थिती है कि मौका पर कोई प्लॉट नहीं काटे गये है तथा सडक की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जबकि इसके विपरीत प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत आवेदन पर मौका की मंगवायी गयी रिपोर्ट से स्पष्ट है कि मौका पर अकृषि कार्य नहीं हो रहा है वरन् मौका पर बागवानी हो रही है इसलिये धारा 177 के प्रावधान प्रकरण हाजा पर लागू नही होने के कारण प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। मद संख्या 5 प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य गलत ब्यानी स्वीकार नहीं है। प्रकरण हाजा में कोई राज हित निहित नहीं है वरन् वादाधीन कृषि भूमि प्रार्थीया की खातेदारी कृषि भूमि है जोकि प्रकरण हाजा के अन्तर्गत खातेदारा कृषका अपनी भूमि के भली प्रकार के उपयोग उपभोग से वंचित हो रही है । प्रार्थीया यहां यह भी अंकित करना आवश्यक समझती है कि प्रार्थीया विधि में आस्था रखने वाली एवं पालना करने वाली पक्षकारा है जो अपनी भूमि को यदि अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग करना चाहेगी तो राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में बनाये गये नियमों के तहत अपनी खातेदारी भूमि का भू रूपान्तरण करवाकर एवं विधिसम्मत अनुमति प्राप्त कर ही उपयोग करेंगी इसलिये भी प्रार्थना पत्र राजपक्ष निरस्त किये जाने योग्य है। मद संख्या 6 प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य गलत ब्यानी स्वीकार नहीं है। चूंकि कोई राजहित निहित नहीं है एवं ना हीं वादाधीन कृषि भूमि पर अकृषि कार्य किया गया है इसलिये किसी भी प्रकार से सिवाए चक घोषित नहीं किया जा सकता है एवं यहां यह भी अंकित करना आवश्यक होगा कि धारा 177 आर. टी. एक्ट की मंशा किसी भी खातेदार को उसकी खातेदारी कृषि भूमि से महरूम करने की नहीं है। मद संख्या 7 प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य स्वीकार नहीं है। मौजूदा दावा/प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं है एवं ना हीं धारा 177 आर. टी. एक्ट के प्रावधान लागू होते है। अतिरिक्त कथन–यह कि राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में न्यायालय से किसी भी प्रकार के अनुतोष की इस्तदुआ नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है । मौजूदा प्रार्थना पत्र में विवादित भूमि पर धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है । यहकि पत्रावली पर उपलब्ध मौका तहसीलदार की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि मौका पर अकृषि कार्य ना होकर वरन् बागवानी हो रही है इसलिये धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना नहीं होने के कारण प्रकरण इसी स्तष पर बिना आयन्दा विचारण निरस्त किये जाने योग्य है । लिहाजा जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर अन्तर्गत धारा 177 आर. टी. एक्ट का सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

पैरोकार राज एवं वकील प्रतिवादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस पैरोकार राज द्वारा वाद पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए मौका पर अकृषि कार्य होने के कारण वाद वादी स्वीकार किये जानें हेतु निवेदन किया। वकील प्रतिवादी द्वारा तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 18.10.2024 व जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए मौके पर अकृषि कार्य नहीं होने का कथन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

पत्रावली का अवलोकन करने पर तहसीलदार श्रीगंगानगर से प्राप्त दो भिन्न भिन्न रिपोर्ट प्राप्त होने पर वादग्रस्त आराजी का मौका निरीक्षण किये जाने बाबत दिनांक 04.04.2025 की तारीख पेशी में अप्रार्थी के अधिवक्ता को दिनांक 15.04.2025 को मौका निरीक्षण के समय अप्रार्थी एवं वकील अप्रार्थी को मौका पर उपस्थित रहने बाबत पाबंद किया गया। दिनांक 15.04.2025 को वरवक्त मौका निरीक्षण अप्रार्थी एवं वकील अप्रार्थी अनुपस्थित मिले, तहसीलदार श्रीगंगानगर एवम् हल्का पटवारी की उपस्थिति में मौका निरीक्षण किया जाकर फर्द मौका रिपोर्ट, मौका के फोटोग्राफ तैयार किये गये। मौका रिपोर्ट एवम् मौका के फोटोग्राफ्स को शामिल पत्रावली किया गया।

प्रकरण में प्रार्थी मोहित गोयल पुत्र स्व. श्री अशोक गोयल द्वारा जरिए वकील श्री दिनेश छाबड़ा के दिनांक 15.04.2025 को प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पेश किया गया।

चूंकि प्रकरण में धारा 177 आर.टी.ए. के निर्णय से पूर्व आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का निर्णय किया जाना अपेक्षित है। अतः बहस प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तथ्यों को दोहरते हुए वकील प्रार्थी की मुख्य बहस यह रही कि उपरोक्त अनवान का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का हक व हित निहित है। मौका पर किसी प्रकार को कोई अकृषि कार्य नहीं हो रहा है। अप्रार्थीया बिमला देवी शाह के द्वारा उक्त वर्णित वादाधीन कृषि भूमि तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 2 ई छोटी का खाता संख्या 209/40 मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 पत्थर नम्बर 0, मुरब्बा नम्बर 30 का किला नम्बर 16/1 में 0.0077 है. नहरी, किला नम्बर 21/2 में 0.0299 है. नहरी, किला नम्बर 22/1 में 0.0299 है. नहरी, किला नम्बर 23/4 में 0.0067 है. नहरी, किला नम्बर 23/6 में 0.0232 है. नहरी, किला नम्बर 24/2 में 0.0299 है. नहरी एवं किला नम्बर 25/1 में 0.0359 है. नहरी उपरोक्तानुसार कुल 0.1632 है. नहरी कृषि भूमि हर प्रकार के ऋण, भार, हर प्रकार के दायित्वों व विवादों भारों से मुक्त रूप्यों की जायज जरूरत होने के कारण बैय करने का विक्रय करार बिलमुक्ता 24,80,000/– रूपये (अखरे रूपये चौबीस लाख अस्सी हजार मात्र) रूपये में प्रार्थी के साथ दिनांक 19.06.2023 को रोबरू गवाहान कर उक्त दिनांक को ही विक्रय करार निष्पादित करवाकर अग्रिम प्रतिफल राशि प्राप्त करना स्वीकार करते हुए हस्ताक्षरित किया। इकरारनामा बैय की फोटो प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रतिवादिया बिमला देवी शाह के द्वारा विक्रय करार दिनांक 19.06.2023 की पालना से इन्कार करने पर प्रार्थी की ओर से माननीय जिला न्यायाधीश, श्रीगंगानगर के न्यायालय में विनिर्दिष्ट अनुपालना का वाद अनवानी मोहित गोयल बनाम बिमला देवी प्रस्तुत किया जो सुनवाई हेतु अपर जिला न्यायाधीश संख्या–1, श्रीगंगानगर के न्यायालय में अन्तरित हुआ एंव माननीय न्यायालय द्वारा दोनो पक्षों को सुनने के उपरान्त वादग्रस्त आराजी की मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिती कायम रखने का आदेश पारित किया हुआ है जिसकी बाखूबी जानकारी स्टेट को है एवं जमाबन्दी में इसका नोट अंकन है प्रति संलग्न हैं। उपरोक्त तथ्यों की बाखूबी जानकारी होने के बावजूद स्टेट के द्वारा माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश की अवज्ञा करने के आशय से हस्तगत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी, जिसके हित व हक वादग्रस्त भूमि में निहित है, को बिना पक्षकार बनाये प्रार्थना

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रार्थी मौजूदा प्रार्थना पत्र के सही न्याय निर्णय हेतू आवश्यक एवं उचित पक्षकार है जिनकी अनुपलब्धता में प्रार्थना पत्र का सही न्याय निर्णय हो पाना असंभव है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को उक्त अनवानी प्रार्थना पत्र में आवश्यक एवं उचित पक्षकार होने के नाते अप्रार्थी संख्या 2 बनाया जाकर जवाव प्रस्तुत करने का एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाकर ही विधिसम्मत विचारण किया जावे। **राज पैरोकार द्वारा जवाब बहस में कथन किए गये कि** प्रार्थी का आज मौका निरीक्षण के दिन प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया जाना अप्रार्थी संख्या 1 विमला देवी व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. दुर्भिसंधि को प्रकट करता है। प्रार्थी आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. द्वारा 177 आर.टी.ए. दर्ज होने के पश्चात् सिविल न्यायालय में सिविल सूट प्रस्तुत कर स्टे प्राप्त किया गया है जो कि विमला देवी के खिलाफ है। जिसका प्रतिवाद स्टेट के विरूद्ध नहीं लिया जा सकता है। ना ही मौके पर कब्जा हस्तान्तरण है और ना ही बैयनामा हुआ है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार नहीं होने के कारण प्रार्थी आवश्यक पक्षकार नहीं है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। चूंकि धारा 177 आर.टी.ए. की कार्यवाही खातेदार के विरूद्ध की जाती है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. के अनुसार प्रार्थी का राजस्व रिकॉर्ड खातेदार होना आवश्यक है। एक अन्य सिविल सूट जो धारा 177 आर.टी.ए. की कार्यवाही का पश्चात्वर्ती है जिसमें 177 आर.टी.ए. के अप्रार्थी के विरूद्ध स्टे दिया गया है जो इस कार्यवाही में अप्रार्थी के प्रतिवाद के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार प्रकरण में प्रार्थी क्लीनहैण्ड से नहीं आया है। उक्त परिस्थितियों के मद्देनजर प्रार्थी के न्यायालय में क्लीनहैण्ड से उपस्थित नहीं आने एवं प्रार्थी के खातेदार अभिधारी नहीं होने के कारण प्रार्थी मोहित गोयल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने पर खारिज किया जाता है।

उभयपक्ष की बहस धारा 177 आर.टी.ए. पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत फर्द मौका दिनांक 15.04.2025, फोटोग्राफ्स, तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट कमांक 4150 दिनांक 22.07.2024 की प्रति, कार्यालय नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर द्वारा जारी पत्र दिनांक 08.08.2024 की प्रति, भू.अभिलेख निरीक्षक वृत्त श्रीगंगानगर रिपोर्ट पटवारी प.म. 2 एमएल की प्रति, दैनिक डायरी हल्का पटवारी दिनांक 19.07.2024 की प्रति, नक्शा मौका चक 2 ई छोटी पटवार मण्डल 2 एमएल तहसील श्रीगंगानगर की प्रति, मौका के फोटोग्राफ्स परिशिष्ठ–1 से परिशिष्ठ–4 का अवलोकन करने से स्पष्ट साबित है कि मौका पर अकृषि कार्य हो रहा है। चूंकि यह भूमि मुताबिक मास्टर प्लॉन रास्ता दर्ज होने के कारण 90–ए नहीं हो सकती थी। अतः इसे अलग से अन्य खातेदार (विमला देवी) के नाम दर्ज करवा कर इसका प्रयोग समीपस्थ कोलोनाइजर द्वारा ही किया जा रहा है। इस प्रकार अकृषि कार्य के साथ–साथ अन्य नागरिकों के रास्ते के अधिकार का भी हनन हो रहा है जो कि नियमानुसार उचित नहीं है। नियोजित शहरी विकास हेतु मुताबिक मास्टर प्लॉन रास्ते की भूमि को छोड़ा जाना एक महत्वपूर्ण

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

(राजस्व वाद संख्या :– 138 / 2024
अनवान सरकार बनाम विमला देवी)

कानूनी बिन्दु है। इस सम्बन्ध में उच्चतर न्यायालयों द्वारा भी समय समय पर विभिन्न न्यायिक निर्णयन द्वारा इस बिन्दु को पुष्ट किया गया है। उक्त विवेचन एवम् दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कानूनी ऐतराज खारिज किया जाकर प्रकरण धारा 177 आर.टी.ए. को स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी को रकबा राज घोषित किया जाता है। चूंकि उक्त भूमि पेराफेरी में स्थित है। अतः इसे नियमानुसार नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर (**U.I.T.**) के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर एवम् नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर को नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद रिपोर्ट तहसील दाखिल दफ़्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 16.04.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर